



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान

फोन नं: 0141-2700356 M-7891511449 E-Mail:- rajssa_civil@yahoo.co.in फैक्स नं: 0141-2708487

क्रमांक : F-5(6)(133)/RCEE/CIVIL/MAINTENANCE GRANT/2017-18/ 3813 दिनांक : 10/7/17

परिपत्र

(विद्यालय रख-रखाव अनुदान-S.M.G.)

विद्यालय भवन को सुन्दर एवं आकर्षक बनाने तथा उसकी दैनिक/सामान्य मरम्मत एवं रख-रखाव बाबत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना 2017-18 के तहत वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) का प्रावधान किया गया है, जो निम्न में से न्यूनतम है :-

- तीन कक्षा-कक्ष तक वाले राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबत राशि रु. 5000/-
- तीन से अधिक कक्षा-कक्ष वाले राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबत राशि रु. 10000/-
- जिले को यूनिट मानते हुये औसत राशि रु. 7500/- प्रति राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय

वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) निम्न शर्तों के अधीन देय है:-

1. विद्यालय का नामांकन शून्य नहीं होना चाहिए।
2. विद्यालय भौतिक रूप से अन्य विद्यालय में मर्ज किया हुआ नहीं हो।
3. विद्यालय स्वयं (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान) के भवन में संचालित हो।
4. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा-1 से 8 तक के विद्यार्थियों बाबत भौतिक सुविधाओं के रख-रखाव/मरम्मत हेतु भी यह अनुदान देय है।
5. शहरी क्षेत्र के किराये भवन में संचालित विद्यालयों बाबत भी यह अनुदान देय है, लेकिन सम्बन्धित विद्यालय को राशि हस्तान्तरण करने से पूर्व भवन मालिक की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) के तहत निम्न कार्य कराये जा सकते हैं :-

1. टूटे-फुटे/खराब फर्श, खिड़की, दरवाजे, प्लास्टर, फर्नीचर, कम्प्यूटर, खेल सामग्री, शैक्षणिक उपकरण, लेब उपकरण, बोर्ड इत्यादि का मरम्मत/रख-रखाव
2. विद्यालय परिसर में स्थित समस्त प्रकार की भौतिक सुविधाओं यथा कक्षा-कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, चारदीवारी, पेयजल सुविधा, किचनशेड, रैम्प, पेड़-पौधों/लॉन इत्यादि की छोटी-मोटी मरम्मत/रख-रखाव
3. वर्षा ऋतु के पश्चात (दीपावली से पूर्व) भवन/परिसर की रंगाई-पुताई, लेवलिंग-ड्रेसिंग, झाड़ी कटाई-सफाई इत्यादि का कार्य

4. भौतिक सुविधाओं यथा कक्षा-कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, चारदीवारी, पेयजल सुविधा, किचनशेड, बरामदा इत्यादि पर शैक्षणिक/बाला गतिविधियों, सरकारी योजनाओं, भामाशाह/दान दाताओं एवं प्रमुख/आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों के लैण्डलाईन/मोबाईल नम्बर की पेटिंग का कार्य
5. विद्यालय में उपलब्ध अन्य वांछित भौतिक सुविधाओं का सौन्दर्यकरण, उन्नयन, मरम्मत एवं रख-रखाव
6. उपकरण/मशीन/फर्नीचर/कम्प्यूटर इत्यादि की क्रियाशीलता बाबत स्पेयर पार्ट का क्रय
7. एस.एम.सी. द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित भौतिक सुविधाओं की मरम्मत/संधारण/रख-रखाव बाबत अनुमोदित अन्य कार्य

वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) के तहत निम्न कार्य नहीं कराये जा सकते हैं :-

1. किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण/उन्नयन
2. उपकरण मशीन, यंत्र, फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, दर्पण, अग्निशमन इत्यादि का क्रय
3. विद्युत/पेयजल/गैस आपूर्ति इत्यादि के बिलों का भुगतान

वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) के तहत कार्यों के क्रियान्वयन बाबत निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. राशि जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सीधे ही विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में हस्तान्तरित की जावे।
2. कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन एस.एम.सी. सचिव द्वारा एस.एम.सी. की बैठक में कराया जावे।
3. कराये गये कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक तिमाही के अन्त में संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में उपलब्ध कराया जावे।

वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) के तहत कराये गये कार्यों का लेखा-जोखा निम्नानुसार संधारित किया जावे :-

1. प्राप्त एवं व्यय की गई राशि का विवरण कैश बुक में नियमित रूप से इन्द्राज किया जावे।
2. यदि मरम्मत/रख-रखाव/संधारण बाबत देय राशि से अधिक राशि की आवश्यकता हो, तो इस बाबत भामाशाह/जनसहयोग का उपयोग किया जावे, लेकिन इस राशि का विवरण पृथक से संधारित किया जावे तथा इस राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्रों में भी नहीं दर्शाया जावे।
3. वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) के तहत किये गये व्यय/कार्यों का विवरण एस.एम.सी. सचिव द्वारा संलग्न प्रपत्र संख्या-1 में पृथक रजिस्टर में संधारित किया जावे।

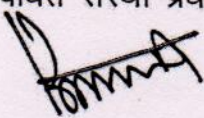
एस.एम.सी. सचिव द्वारा संलग्न प्रपत्र संख्या-1, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा संलग्न प्रपत्र संख्या-2, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) द्वारा संलग्न प्रपत्र संख्या-3 एवं जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संलग्न प्रपत्र संख्या-4 में उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर E-Mail/Whatsapp के माध्यम से तिमाही की समाप्ति के तुरन्त पश्चात निम्नानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	कार्यालय/स्तर	अन्तिम तिथि/समयावधि
1	एस.एम.सी. सचिव द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को प्रेषण	तिमाही समाप्ति के 06 दिवस के अन्दर
2	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा उनके क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालया बाबत उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना	तिमाही समाप्ति के 12 दिवस के अन्दर
3	सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) कार्यालय में उपलब्ध कराना	तिमाही समाप्ति के 18 दिवस के अन्दर
4	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) द्वारा उनके क्षेत्राधीन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में प्रस्तुत करना	तिमाही समाप्ति के 24 दिवस के अन्दर
5	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उनके क्षेत्राधीन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिषद् को उपलब्ध कराना	तिमाही समाप्ति के 30 दिवस के अन्दर

राज्य सरकार/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों द्वारा निम्न मानदण्डानुसार वार्षिक विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.) के तहत कराये गये कार्यों का निरीक्षण किया जावे तथा 2-3 प्रमुख सुधारात्मक बिन्दुओं का विवरण उपस्थिति पंजिका में अंकित कर संस्था प्रधान द्वारा उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जावे :-

क्र.सं.	अधिकारी का पद	निरीक्षण बाबत मानदण्ड
1.	राज्य सरकार/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा नामित जिला प्रभारी	प्रति माह न्यूनतम 2 विद्यालय
2.	संभागीय उपनिदेशक	प्रति माह न्यूनतम 4 विद्यालय
3.	जिला परियोजना समन्वयक	प्रति माह न्यूनतम 8 विद्यालय
4.	सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला सहायक अभियन्ता	प्रति माह न्यूनतम 8 विद्यालय
5.	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक कनिष्ठ अभियन्ता	प्रति माह न्यूनतम 12 विद्यालय
6.	आर.पी. (सन्दर्भ व्यक्ति)	प्रति माह न्यूनतम 15 विद्यालय
7.	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	पंचायत के कुल विद्यालयों के न्यूनतम 33 प्रतिशत विद्यालय

तीन से अधिक बार अवलोकित किये गये विद्यालयों में निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित संस्था प्रधानों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।




(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), शासन सचिवालय, जयपुर
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, रा.प्रा.शि.प., जयपुर
6. उपायुक्त (मॉनिटरिंग), रा.प्रा.शि.प., जयपुर
7. अधिशाषी अभियन्ता, रा.प्रा.शि.प., जयपुर
8. उपनिदेशक (आई.टी.), रा.प्रा.शि.प., जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस पत्र को परिषद् की वेबसाईट पर उपलोड कराना सुनिश्चित करे
9. सहायक अभियन्ता (सर्व शिक्षा अभियान), रा.प्रा.शि.प., जयपुर
10. सहायक निदेशक (जी.ए.डी.), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
11. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग-समस्त
12. जिला प्रभारी, (जिला-समस्त), रा.प्रा.शि.प., जयपुर
13. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला-समस्त
14. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
15. सहायक अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, जिला-समस्त
16. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, ब्लॉक-समस्त, जिला-समस्त
17. कनिष्ठ अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, ब्लॉक-समस्त, जिला-समस्त
18. कनिष्ठ अभियन्ता (मुख्यालय), रा.प्रा.शि.प., जयपुर



(बिन्द्रा सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रपत्र संख्या-1

विद्यालय स्तर पर संधारित व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र

योजना का नाम : विद्यालय रख-रखाव अनुदान (एस.एम.जी.)

वित्तीय वर्ष :

विद्यालय का यू-ड्राईस कोड :

विद्यालय का नाम :

ग्राम पंचायत :

ब्लॉक :

जिला :

क्र. सं.	बिल क्रमांक	बिल की दिनांक	कराये गये कार्य/क्रय की गई सामग्री का विवरण	कराये गये कार्य/क्रय की गई सामग्री की मात्रा	कराये गये कार्य/क्रय की गई सामग्री की दर	कराये गये कार्य/क्रय की गई सामग्री पर व्यय राशि	हस्ताक्षर सचिव, एस.एम.सी.	हस्ताक्षर अध्यक्ष एस.एम.सी.
		योग						

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- विद्यालय प्रबन्धन समिति को विद्यालय रख-रखाव अनुदान के तहत कार्यो बाबत राशि रु. की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से दिनांकतक निम्नानुसार राशि विद्यालय प्रबन्धन समिति को हस्तान्तरित की जा चुकी है-

डी.डी./पी.पी.ए./चैक नम्बर	दिनांक	राशि रु.
	योग	

- उपरोक्त प्राप्त राशि रु. में से राशि रु. का उपरोक्त विवरण अनुसार व्यय स्वीकृत कार्यो बाबत एवं निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया गया है। शेष राशि रु. का व्यय आगामी माहों में कर लिया जावेगा।
- कृपया शेष राशि रु. का हस्तान्तरण शीघ्र कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष, एस.एम.सी.)

दिनांक-

नाम (अध्यक्ष, एस.एम.सी.)-

विद्यालय का नाम

ग्राम पंचायत-

ब्लॉक-

जिला-

हस्ताक्षर (सचिव, एस.एम.सी.)

दिनांक-

नाम (सचिव, एस.एम.सी.)-

विद्यालय का नाम

ग्राम पंचायत-

ब्लॉक-

जिला-



प्रपत्र संख्या-2

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा संधारित

उपयोगिता प्रमाण पत्र (तिमाही का नाम-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	यू-डाईस कोड	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा जारी राशि का विवरण			एस.एम. सी. द्वारा उपयोग में लाई गई राशि (रु.)	एस.एम. सी. के पास शेष राशि (रु.)
			डी.डी./पी. पी.ए./चैक नम्बर	दिनांक	राशि (रु.)		
योग							

प्रमाणित किया जाता है कि-

- मेरा क्षेत्राधीन (संख्या) राजकीय विद्यालयों को विद्यालय रख-रखाव अनुदान के तहत कार्यो बाबत राशि रु. की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से दिनांकतक राशि रु. संबंधित विद्यालय प्रबन्धन समितियों को हस्तान्तरित की जा चुकी है।
- उपरोक्त प्राप्त राशि रु. में से राशि रु. का उपरोक्त विवरण अनुसार व्यय स्वीकृत कार्यो बाबत एवं निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया गया है। शेष राशि रु. का व्यय आगामी माहों में कर लिया जावेगा।
- कृपया शेष राशि रु. का हस्तान्तरण शीघ्र कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

दिनांक-.....

नाम-.....

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)

ग्राम पंचायत-.....

ब्लॉक-.....

जिला-.....



प्रपत्र संख्या-3

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) द्वारा संधारित

उपयोगिता प्रमाण पत्र (तिमाही का नाम-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ)

[illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि—

1. मेरा क्षेत्राधीन (संख्या) राजकीय विद्यालयों को विद्यालय रख-रखाव अनुदान के तहत कार्यो बाबत राशि रु. की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से दिनांक तक राशि रु. संबंधित विद्यालय प्रबन्धन समितियों को हस्तान्तरित की जा चुकी है।
2. उपरोक्त प्राप्त राशि रु. में से राशि रु. का उपरोक्त विवरण अनुसार व्यय स्वीकृत कार्यो बाबत एवं निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया गया है। शेष राशि रु. का व्यय आगामी माहों में कर लिया जावेगा।
3. कृपया शेष राशि रु. का हस्तान्तरण शीघ्र कराने का कष्ट करें।

हरस्ताक्षर

दिनांक-

नाम-.....

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO)

ब्लॉक-.....

जिला-

[Handwritten signature]

प्रपत्र संख्या-4

जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संधारित

उपयोगिता प्रमाण पत्र (तिमाही का नाम-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा जारी राशि का विवरण		ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) के क्षेत्राधीन उपयोग में लाई गई राशि का विवरण		ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) के क्षेत्राधीन शेष राशि का विवरण	
		विद्यालयों की संख्या	राशि (रु.)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रु.)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रु.)
	योग						

प्रमाणित किया जाता है कि-

- मेरा क्षेत्राधीन (संख्या) राजकीय विद्यालयों को विद्यालय रख-रखाव अनुदान के तहत कार्यो बाबत राशि रु. की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से दिनांक तक राशि रु. संबंधित विद्यालय प्रबन्धन समितियों को हस्तान्तरित की जा चुकी है।
- उपरोक्त प्राप्त राशि रु. में से राशि रु. का उपरोक्त विवरण अनुसार व्यय स्वीकृत कार्यो बाबत एवं निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया गया है। शेष राशि रु. का व्यय आगामी माहों में कर लिया जावेगा।
- संबंधित राजकीय विद्यालयों द्वारा उपयोग में लाई गई राशि रु. में से राशि रु. का समायोजन कार्यालय के पत्र/आदेश क्रमांक..... दिनांक द्वारा किया जा चुका है तथा इसका इन्द्राज कैशबुक के पृष्ठ संख्या पर कर लिया गया है। कृपया शेष राशि रु. का हस्तान्तरण शीघ्र कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

दिनांक-.....

नाम-.....

जिला परियोजना समन्वयक

सर्व शिक्षा अभियान

जिला-.....

